

तारीख

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

श्रीवती पत्र 14(4) सुबालाम वगैरे / श्रीवती वगैरे

23-4-24

अधिकारिता प्राचीन उपस्थिति, अधिकारिता अग्रणी, उपस्थिति, राजकीय अधिकारिता उपस्थिति, अधिकारिता अग्रणी है। एवं अधिकारिता प्राचीन डाय बंधन हेतु अक्सर चाय जमा पत्रवाही वास्ते बंधन डिकेड 28-5-24 को पेश हो।

अति. जिला कलक्टर
दौसा

28-5-24

आदि पीतासीन अधिकारी महोदय सज
कार्य में क्वॉल/अहकाम पर हान में
गत आदेश की पालना में पत्रवाही
दिनांक 11-6-24 को पेश हो।

11-6-24

आदि पीतासीन अधिकारी महोदय सज
कार्य में क्वॉल/अहकाम पर हान में
गत आदेश की पालना में पत्रवाही
दिनांक 25-6-24 को पेश हो।

25-6-24

अधिकारिता प्राचीन उपस्थिति, अधिकारिता अग्रणी, उपस्थिति, राजकीय अधिकारिता उपस्थिति, अधिकारिता अग्रणी द्वारा अन्य प्रकार के साध्य बंधन करने का निवेदन करते हुए बंधन हेतु अक्सर चाय जमा पत्रवाही वास्ते बंधन डिकेड 5-7-24 को पेश हो।

अति. जिला कलक्टर
दौसा

05-7-24

अधिकारिता प्राचीन उपस्थिति, प्राचीन उपस्थिति, अधिकारिता अग्रणी, उपस्थिति, अधिकारिता प्राचीन द्वारा प्राचीन पत्र विज्ञा किये जाने प्राचीन पत्र कंठगत आदेश 14(4) द्वारा बंधन पेश कर निवेदन किया कि प्राचीन विचाराधीन प्राचीन पत्र 14(4) आवेदन बंधन को नहीं चलाना चाहते हैं। साथ ही अधिकारिता प्राचीन द्वारा Not Press किया गया। अधिकारिता अग्रणी।

Not Press

श्री सुबालाम



अति. जिला कलक्टर
दौसा



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम
अह
हुक्म
में

द्वारा हुक्म संबंध में कोई आपत्ति नहीं होना
धमत्त किया गया।

अधिवक्ता प्राचीन द्वारा Next Party फरसे
पर आवंटन दायित्व दिनांक 19-11-2004 ग्राम
बेधाडी गुजरान तहसील बसवा बंदक कपड़ी स्थ।
श्रीमती देवी पति जगदीश चारी गुजर निवासी
बेधाडी गुजरान को निरस्त करने हेतु प्राचीन व
सुवालाल पुत्र बालूराम, बनालाल पुत्र रामस्वरूप
चारी गुजर निवासी बेधाडी गुजरान उपरकी
तहसील बसवा द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत
प्राचीन पत्र 14(1) आवंटन रूल्स इनवानी सुवालाल
व अन्य बनाम श्रीमती देवी व अन्य खारिज किया
जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय
का मूल दामिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फेसल
शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ण
प्रविष्ट दामिलेखानार की जावे। निर्णय आज
दिनांक 05-7-2024 को मेरे द्वारा सुले न्यायालय
में सुनाया गया।



(सुमित्रा पारसे)
अति. जिला कलक्टर
दौसा (राज.)